FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
(धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0019 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 31/01/2024 17:10 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	13(1)(c)
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	13(1)(d)
3	भा दं सं 1860	420
4	भा दं सं 1860	467
5	भा दं सं 1860	468
6	भा दं सं 1860	471
7	भा दं सं 1860	120-B
8	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	13(2)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 09/04/2010 **Date To (दिनांक तक):** 04/08/2023
   Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 12:00 बजे **Time To (समय तक):** 00:00 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 30/01/2018 **Time (समय):** 00:00 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 31/01/2024 17:10:23 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH, 2 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** Nagar Parishad Nagour

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** SUSHILA BISHNOI

(b) **Father's/Mother's/Husband's Name (पिता / माता / पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 01/05/1974 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	KAKDA, KAKDA, KAKDA, KAKDA, NOKHA, JASARASAR, BIKANER, RAJASTHAN, 334802, INDIA
2	स्थायी पता	KAKDA, KAKDA, KAKDA, KAKDA, NOKHA, JASARASAR, BIKANER, RAJASTHAN, 334802, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** 91-9983901390

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	Pokar Ram Chouhan the than Commisionar		पिता:Punaram	1. Bijapur,Bali,PALI,RAJASTHAN,IN
2	Mamraj the than Surveyor		पिता:Tulsaram	1. 111,Sanjay Colony,Nagour,NAGAUR,RAJAS
3	Narendra Singh the than JEN		पिता:Bane Singh	1. 04,Shastri Nagar,NAGAUR,RAJASTHAN,IN

4	Hari Kishan the than Jr. Assist.		पिता:Hajari Singh	1. Rasisar,Nokha,BIKANER,RAJAS
5	Kumbharam the than Sr. Assist.		पिता:Magaram	1. Amarsingh Colony Dhundho ki Dhani,Alay,NAGAUR,RAJASTHAN,INDIA
6	Birdichand the than Chairman		पिता:Bhanwarlal	1. Baadikua,NAGAUR,RAJASTHAN
7	Smt. Kamla Devi		पति:Hariram	1. Veer Tejaji Colony,Sanchar Bhawan ke Peeche,Manasar,NAGAUR,RAJA
8	Rajendra Kumar		पिता:Jwalaram	1. Staff Colony,Manasar,NAGAUR,RAJA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant**
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)**
(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	अन्य	विविध		

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय, निवेदन है कि परिवाद संख्या 31/2018 के दौराने सत्यापन परिवाद जांच में अंकित आरोपों से सम्बन्धित नगर परिषद नागौर से रेकर्ड प्राप्त किया गया एवं सम्बन्धित गवाहान परिवादी श्री महावीर विश्नोई, गवाहान श्री नेमराज नियमन लिपिक, श्री रामबक्स, श्री रजनीश चौधरी, श्री हाजी गुलजार खां, श्री अशोक कुमार मच्छी तत्कालीन सभापति, श्री कैलाश चन्द सैन लिपिक, श्री सत्यानारायण सिंघल लिपिक, श्री सोहन लाल लिपिक के बयान लेखबद्ध किये गये तथा आरोपीगण श्री हरिकिशन विश्नोई नियमन लिपिक, श्री नरेन्द्र सिंह सहायक अभियन्ता, श्री मामराज सर्वेयर, श्री कुम्भाराम नियमन लिपिक, श्री राजेन्द्र कुमार लाभार्थी, श्री बिरदीचन्द सांखला तत्कालीन सभापति, श्रीमती कमला देवी लाभार्थी के स्पष्टीकरण कथन लेखबद्ध किये जाकर जॉच की गयी तो पाया गया कि :- आवेदक श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री हरिराम लोमरोड़ द्वारा 1111.11 वर्गगज भूखण्ड को वर्ष 1981 के पूर्व के कब्जों के अन्तर्गत नियमन हेतु वर्ष 1991-92 में नगर पालिका नागौर में आवेदन प्रस्तुत किया। जिस पर पत्रावली संख्या 167/1991-92 नगर पालिका नागौर में दर्ज की गई थी। तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी स्व0 श्री केदार नाथ गोयल द्वारा पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर प्रार्थीनी से पुराने कब्जे होने के सबूत मांगने हेतु नोटिस जारी करने के आदेश दिये गये, जिस पर तत्कालीन कनिष्ठ लिपिक श्री नेमीचन्द आचार्य द्वारा कार्यालय टिप्पणी अंकित कर दिनांक 29.07.1991 को नोटिस जारी कर वर्ष 1981 के पूर्व के कब्जा बाबत् सबूत पेश करने हेतु लिखा गया। परन्तु प्रार्थीनी द्वारा वर्ष 1981 के पूर्व के कोई सबूत प्रस्तुत नहीं किये। उक्त पत्रावली श्री नेमीचन्द आचार्य लिपिक द्वारा मौका रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद संधारित की गई थी जिसमें श्री नेमीचन्द आचार्य लिपिक द्वारा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों व मौका रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए प्रार्थीनी का सन् 1981 की सर्वे सूची में नाम दर्ज नहीं होने और पुराना कब्जा हेतु कोई सबूत पेश नहीं करने का उल्लेख करते हुए टिप्पणी अंकित कर अवलोकनार्थ व आदेशार्थ तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी स्व0 श्री कानाराम के समक्ष दिनांक 16.01.1993 को प्रस्तुत की गई थी। पत्रावली मिशल शामिल नगर पालिका मण्डल नागौर के सर्वेयर श्री मामराज चौधरी द्वारा मौका रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 1 के अनुसार प्रस्तुत नक्शानुसार मौके पर नाप सही पाया गया, बिन्दु संख्या 2 के अनुसार मौके पर प्रार्थी के एक झोंपड़ी एवं एक छपरा बना

हुआ है, चारों ओर कांटों की बाड़ बनी हुई है जिसमें कहीं कहीं दीवार टूटी सी दिखाई देने का अंकन किया है जिसकी मौका रिपोर्ट दिनांक 02.01.1993 की है। जबकि सर्वेयर द्वारा उक्त भूखण्ड के माप 1111.11 वर्गगज भूमि का किया गया जबकि सर्वेयर द्वारा उक्त भूखण्ड से संबंधित मौके पर कोई दस्तावेज नहीं देखे गये और न ही कोई दस्तावेज प्राप्त किये गये थे, क्योंकि नगर पालिका मण्डल को मात्र 300 वर्गगज आबादी भूमि का ही नियमन करने का अधिकार प्राप्त है। तत्पश्चात नगर पालिका मण्डल नागौर द्वारा दिनांक 23.08.2008 को तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी श्री पोकरराम चौहान द्वारा 1981 के पूर्व के सबूत एवं हरिकिशन माली से खरीदा हुआ दस्तावेज 7 दिवस में प्रस्तुत करने का नोटिस दिया गया और नोटिस में समयावधि में सबूत प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली निरस्त करने की चेतावनी भी दी गई। नोटिस तामिल कुनिन्दा द्वारा उक्त पते पर नोटिस लेकर गया वहां आस पड़ौस को पूछने पर बताया कि इस नाम का व्यक्ति यहां पर नहीं रहता है। तत्पश्चात् अधिशाषी अधिकारी की तरफ से दिनांक 09.04.2010 को उक्त पत्रावली में कार्यालय टिप्पणी लिपिक श्री कुम्भाराम द्वारा नोटशीट में अंकित करते हुए नियमन/लीज राशि 3,68,055/- नगरपालिका मण्डल नागौर में जमा करवाई थी। उसके पश्चात लिपिक श्री कुम्भाराम द्वारा कार्यालय टिप्पणी में अंकित किया गया कि प्रार्थीया द्वारा स्टॉम्प पेश कर दिये गये है, जिस पर लीज डीड तैयार कर शुद्ध प्रारूप हस्ताक्षर हेतु पेश है। जिस पर हस्ताक्षर से दिनांक 15.04.2010 अंकित है। उसके पश्चात नोटशीट में कोई कार्यालय टिप्पणी अंकित नहीं है। श्री कुम्भाराम नियमन लिपिक द्वारा नियम विरूद्ध दिनांक 09.04.2010 को कार्यालय टिप्पणी में अंकित करते हुए उक्त भूखण्ड का क्षेत्रफल 1111.11 वर्गगज का 1981 से पूर्व का कब्जा मानकर नियमन राशि 3,38,055/- रूपये जमा करवाई थी जबकि पूर्व में दिनांक 16.01.1993 को लिपिक श्री नेमीचन्द आचार्य द्वारा स्पष्ट लिखा गया कि प्रार्थीनी का सन् 1981 की सर्वे सूची में नाम दर्ज नहीं है तथा प्रार्थीनी ने पुराना कब्जा होने बाबत कोई सबूत पेश नहीं किया है। उक्त टिप्पणी के पश्चात पत्रावली में किसी तरह की कोई टिप्पणी अंकित नहीं है तथा दिनांक 09.04.2010 को सीधे ही पत्रावली का पेश होना व राशि जमा करवाना कार्यालय टिप्पणी में अंकित है जबकि प्रार्थीनी द्वारा उक्त भूखण्ड के संबंध में किसी प्रकार का कोई सबूत पेश नहीं किया गया था तथा उक्त भूखण्ड की लिपिक द्वारा कार्यालय टिप्पणी में अंकित किया गया कि प्रार्थीया द्वारा स्टाम्प पेश कर दिये गये हैं जिस पर लीज डीड तैयार कर शुद्ध प्रारूप हस्तारक्षर हेतु पेश है, उक्त कार्यालय टिप्पणी के नीचे लिपिक श्री कुम्भाराम के हस्ताक्षर दिनांक 15.04.2010 अंकित है तत्पश्चात उक्त पत्रावली में किसी प्रकार की कोई कार्यालय टिप्पणी अंकित नहीं है, जिससे श्री कुम्भाराम लिपिक की प्रार्थीनी श्रीमती कमला देवी से स्पष्ट मिलीभगत होना प्रमाणित है जिसके कारण नियम विरूद्ध नियमन किया गया। उक्त पत्रावली से सम्बन्धित लीज डीड में दिनांक 01.10.2012 द्वारा जारी करते हुए दिनांक 12.10.2012 को कार्यालय उप पंजीयक नागौर में उक्त लीज डीड का पंजीयन श्री सत्यनारायण सिंघल लिपिक द्वारा करवाया गया है। दिनांक 01.10.2012 को नियमन शाखा का चार्ज श्री हरिकिशन विश्नोई लिपिक के पास था। उक्त पत्रावली संख्या 167/1991-92 की कार्यालय टिप्पणी पर अवैध निर्माण जो दिनांक 31.12.1991 से पूर्व का प्रतीत होने पर राजस्थान सरकार नगरीय विकास विभाग जयपुर के परिपत्र क्रमांक प.1(ग)नियम/डीएलबी/2001/1 दिनांक 01.01.2002 व परिपत्र क्रमांक प.8(1)()नियम/स्वा.शा.वि./2001/2171 दिनांक 09.10.2002 के अनुसार साक्ष्य एवं सबूत प्रस्तुत करने पर अवैध निर्माण को नियमन करने के निर्देश है, राजस्थान सरकार नगरीय विकास विभाग जयपुर के परिपत्र क्रमांक प.1(ग)नियम/डीएलबी/2001/1 दिनांक 01.01.2002 के बिन्दु संख्या 1(क) के अनुसार 150 वर्गगज तक आबादी भूमि का नियमन आवासीय आरक्षित दर की 50 प्रतिशत राशि वसूल करते हुए किया जावे। बिन्दु संख्या(ख) के अनुसार 150 वर्गगज से अधिक परन्तु 300 वर्गगज तक की आबादी भूमि का नियमन आवासीय आरक्षित दर के अनुसार राशि वसूल कर नियमन करने के निर्देश है। बिन्दु संख्या 4 निर्मित अतिक्रमण/कब्जा दिनांक 31.12.1991 से पूर्व होने के संबंध में निम्न साक्ष्य मान्य होंगे :- (अ) राशन कार्ड (ब) बिजली पानी का बिल (स) मतदाता सूची में नाम (द) डाक से प्राप्त पत्र (य) अन्य कोई साक्ष्य जो यह साबित करें कि प्रार्थी 31.12.1991 से पूर्व मकान बनाकर काबिज है तथा इनके अलावा 2 स्वतंत्र गवाहों के हल्फनामें भी प्राप्त किये जावें। उक्त दस्तावेज होने पर कब्जा नियमन की कार्यवाही करने के निर्देश है। प्रार्थीनी द्वारा पत्रावली मिशल शामिल दस्तावेज सबूत में श्री हरिराम पुत्र श्री आशाराम के नाम का राशन कार्ड जो संजय कॉलोनी के पते का है। प्रार्थीनी के नाम दिनांक नोटिस 29.07.1991 का ही नोटिस है जो नगर पालिका मण्डल, नागौर द्वारा जारी किया गया है इसके अलावा पत्रावली मिशल कोई शामिल दस्तावेज नहीं है। कब्जा नियमन मौका स्थल के दस्तावेज पत्रावली में शामिल नहीं हैं। श्रीमान अति0 जिला कलेक्टर डीडवाना के पत्रांक 623 दिनांक 10.03.2017 के द्वारा उक्त भूखण्ड से संबंधित जांच रिपोर्ट श्रीमान जिला कलेक्टर नागौर को प्रस्तुत की गई। जिसमें पत्रावली संख्या 167/91-92 में भूमि नियमन करते समय निम्न कमियां व नियमों का पालन नहीं करना पाया गया जिसमें उक्त पत्रावली द्वारा खसरा संख्या 361/853 रकबा 1111.11 वर्गगज किस्म आबादी की खांचा भूमि जो नगर पालिका के खाते में दिनांक 07.08.1976 से है, का नियमन दिनांक 01.10.2012 को श्रीमती कमला पत्नी श्री हरिराम के पक्ष में किया गया। उक्त भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 पर स्थित है परन्तु नियमन के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पी.डब्ल्यू.डी. एवं सी.पी. डब्ल्यू.डी. से कोई एनओसी प्राप्त नहीं की गई है व नियमन की गई खांचा भूमि सड़क के मध्य से मात्र 80 फिट दूरी पर स्थित है। भूमि नियमन की पात्रता के संबंध में परिवार के स्वयं के नाम या उसके आश्रित वयस्क/अवयस्क पुत्र/पुत्री/पत्नी/पति

आश्रित माता पिता के नाम आवासीय भूखण्ड या मकान नहीं होने पर ही जीवन में केवल एक अतिक्रमण का नियमन किया जा सकता है। उक्त प्रकरण में आवेदक श्रीमती कमला के पति श्री हरिराम के पास नागौर सहित और भी कई जगह पुरानी सम्पति आई हुई है। अतः उपर्युक्त पत्रावली में आवेदक भूमि नियमन नियमों के अन्तर्गत पात्र नहीं होने पर भी भूमि का नियमन उनके पक्ष में किया गया है। नगरीय क्षेत्रों में भूमि नियमन के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प(8) या(37)डीएलबी/05/2674-2711 दिनांक 25.4.2007 की अवहेलना की गई है। परिपत्र के अनुसार पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज हिस्ट्रशीटर व आपराधिक प्रकरणों में सजायाप्ता व्यक्ति रहवासीय या व्यवसायिक परियोजनार्थ पूर्व में नियमन करवा चुके व्यक्तियों के पक्ष में नियमन व जिन व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमिक प्लाट अथवा आवास को खरीदा/बेचा है उनके पक्ष में नियमन नहीं किया जा सकता है। पंजियन अधिनियम 1908 की धारा 23 के अनुसार दस्तावेज निष्पादन की तिथि से 04 माह तक ही दस्तावजों का पंजियन हो सकता है व 8 माह के बाद पंजियन दस्तावेज रिवेलिड करवाना आवश्यक है उक्त प्रकरण में नगर परिषद नागौर द्वारा आवेदक के पक्ष में खांचा भूमि के स्वामित्व संबंधी निष्पादित दस्तावेजों का पंजियन कार्यालय उप पंजियक नागौर में 8 माह पश्चात दस्तावेजों का रिवेलीड करवाये बिना ही पंजियन करवाया गया है जो विधि विरूद्ध है। उक्त पत्रावली में भूमि नियमन/आवंटन आदेश से पूर्व भूमि निष्पादन नियम 1974 के नियम 30 के तहत नगर परिषद बोर्ड की स्वीकृति भी नहीं ली गई है। उक्त पत्रावली में जिस भूमि का नियमन किया गया वो भूमि सरकारी कार्यालयों एवं आवास हेतु आरक्षित है और इस भूमि का निस्तारण श्रीमान जिला कलेक्टर नागौर में निहित है। उक्त भूमि के विक्रय से पूर्व बोर्ड से कोई स्वीकृति नहीं ली गई है। इस प्रकार श्रीमान अति0 जिला कलेक्टर डीडवाना द्वारा की गई जांच परिवाद संख्या 31/2018 की जांच में भी प्रमाणित साक्ष्य है। इसी प्रकार पत्रावली संख्या 216/2012-13 राजेन्द्र पुत्र ज्वालाराम चौधरी निवासी स्टॉफ कॉलोनी नागौर द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर 288.88 वर्गगज भूमि के नियमन हेतु आवेदन नगर पालिका नागौर में प्रस्तुत किया। आवेदन प्रक्रियानुसार दस्तावेज सबूत में प्रार्थी द्वारा ईकरारनामा दिनांक 14.12.2007 श्रीमती कमला पत्नी श्री हरिराम जाट निवासी नागौर के नाम 100 रूपये के स्टाम्प पर बेचान नामा किया गया था, जो स्टाम्प अपंजिकृत है। नगर पालिका मण्डल नागौर द्वारा दिनांक 29.07.1991 का नोटिस श्रीमती कमला पत्नी हरिराम के नाम का है, प्रार्थी श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री ज्वालाराम जाट के द्वारा अधिकार पत्र 10 रूपये के स्टाम्प पर स्वयं के नाम तस्दीक सुदा स्वयं का शपथ पूर्वक घोषण पत्र 10 रूपये के स्टाम्प पर मौहल्ले के दो प्रमुख व्यक्तियों द्वारा प्रमाणीकरण गवाह 1. श्री रामबगस पुत्र चौथाराम जाति प्रजापत निवासी स्टाफ कॉलोनी नागौर 2. श्री रजनीश पुत्र ज्वालाराम जाट निवासी स्टाफ कॉलोनी नागौर द्वारा गवाह के रूप में प्रस्तुत किये हैं जो स्टाफ कॉलोनी नागौर में श्री राजेन्द्र पुत्र ज्वालाराम जाट को 20 वर्षो से निजी रूप से जानते हैं जो यहां पर निवास करने का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है जबकि उक्त दोनों प्रमुख व्यक्तियों का निवास स्थान स्टॉफ कॉलोनी में होना नहीं पाया गया है। नगर पालिका मण्डल नागौर के तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता श्री नरेन्द्र सिंह चौधरी द्वारा मौका रिपोर्ट ली गई। मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व नक्शे के अनुसार मौका देखा गया पत्रावली में इस भू भाग के चिपते ही पत्रावली संख्या 142/2002 के द्वारा श्री रजनीश पुत्र ज्वालाराम के नाम पालिका द्वारा पट्टा विलेख जारी किया गया। जिसकी फोटो कॉपी पत्रावली में बतौर सबूत संलग्न है। मौके पर भू-भाग का नाप 65 ग् 40 त्र 2600 वर्गफुट यानि 288.88 वर्गगज है। मौके पर नींव भरी हुई है व दो साईड में चारदीवारी भी बनी हुई है एवं एक पट्टियों की छान बनी हुई है। शेष स्थिति नक्शे में दर्शायेनुसार सही होने का अंकन है। मौका रिपोर्ट पैरा नम्बर 3 पर है। पैरा नम्बर 4 पर श्रीमान आयुक्त महोदय, कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा अंकन किया जो आयुक्त महोदय के हस्ताक्षर नहीं है। पैरा नम्बर 5 श्री हरिकिशन विश्नोई तत्कालीन कनिष्ठ लिपिक द्वारा कनिष्ठ अभियन्ता की मौका रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है जो पत्रावली संलग्न है, कृपया अवलोकन फरमावें। प्रार्थी द्वारा कब्जा के प्रमाणीकरण हेतु पत्रावली पैरा नम्बर 1 अनुसार साक्ष्य दस्तावेज संलग्न पत्रावली है, कृपया अवलोकन फरमावें। श्रीमान आयुक्त महोदय का अंकन किया जो आयुक्त के हस्ताक्षर युक्त नहीं है। कार्यालय टिप्पणी के पेज नम्बर 2 पर श्रीमान पोकर राम चौहान तत्कालीन आयुक्त नगर परिषद नागौर द्वारा उक्त भूखण्ड की नियमन राशि 2,70,825 रूपये रसीद नम्बर 54062 दिनांक 11.12.2012 को नियमन राशि जमा करवाई गई । पैरा नम्बर 8 के अनुसार तत्कालीन कनिष्ठ लिपिक श्री हरिकिशन विश्नोई द्वारा पट्टा का शुद्ध प्रारूप बाद अनुमोदन हस्ताक्षर हेतु तत्कालीन आयुक्त व सभापति नगर परिषद नागौर के समक्ष प्रस्तुत किया, जिन्होंने लीज डीड पर हस्ताक्षर कर दिनांक 12.02.2013 को उप पंजियन कार्यालय नागौर में लीज डीड पंजिबद्ध हुई। पत्रावली संख्या 167/1991-92 श्रीमती कमला पत्नी श्री हरिराम जाट के नाम भूमि नियमन 1111.11 वर्गगज नगर पालिका नोटिस दिनांक 29.07.1991 नियमन सबूत के तौर पर पत्रावली मिशल शामिल किया गया जिसके आधार पर लीज डीड जारी की गई, पत्रावली संख्या 216/2012-13 श्री राजेन्द्र पुत्र ज्वालाराम जाट निवासी स्टाफ कॉलोनी नागौर नगर पालिका नोटिस दिनांक 29.07.1991 व ईकरारनामा दिनांक 14.12.2007 नियमन सबूत को मानते हुए 288.88 वर्गगज भूमि की लीज डीड जारी की गई। दोनों पत्रावलियों में नगर पालिका मण्डल नागौर द्वारा जारी नोटिस दिनांक 29.07.1991 को साक्ष्य सबूत मानते हुए नियमन किया गया है, जो कि नियम विरूद्ध है। उक्त नोटिस को पत्रावली संख्या 167/1991-92 व पत्रावली संख्या 216/2012-13 में सबूत के तौर पर उपयोग में लिया गया है जबकि नगर पालिका मण्डल द्वारा उक्त नोटिस 1981 से पूर्व के कब्जा सुदा भूखण्ड का सबूत दस्तावेज पेश करने के लिए लिखा गया था। जबकि नगर पालिका नागौर के अधिकारी/कर्मचारीयों द्वारा

लाभार्थीगणों से मिलीभगत कर उक्त नोटिस को सबूत के तौर पर मानते हुए गलत तरीके से नियम विरूद्ध नियमन किया गया। पत्रावली संख्या 216/2012-13 का ईकरारनामें द्वारा बेचान श्रीमती कमला देवी द्वारा किया गया है। जिसने पत्रावली संख्या 167/1991-92 में भूखण्ड माप 1111.11 वर्गगज भूमि का नियमन करवाया गया है। उक्त पत्रावली द्वारा खसरा संख्या 361/853 जो आबादी भूमि वास्ते सरकारी कार्यालय एवं आवास हेतु सुरक्षित निस्तारण अधिकारी श्रीमान जिला कलेक्टर नागौर महोदय होने बाबत् नोट लगा हुआ है। उक्त पत्रावली में भूमि नियमन/आवंटन आदेश से पूर्व भूमि निष्पादन नियम 1974 के नियम 30 के तहत नगर परिषद बोर्ड की स्वीकृति भी नहीं ली गई है। उक्त पत्रावली में जिस भूमि का नियमन किया गया वो भूमि सरकारी कार्यालयों एवं आवास हेतु आरक्षित है और इस भूमि का निस्तारण श्रीमान जिला कलेक्टर नागौर में निहित है। उक्त भूमि के विक्रय से पूर्व बोर्ड से कोई स्वीकृति नहीं ली गई है। उक्त भूमि राष्टी्रय राजमार्ग संख्या 65 पर स्थित है परन्तु नियमन के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पी.डब्ल्यू.डी. एवं सी.पी.डब्ल्यू.डी. से कोई एन.ओ.सी. प्राप्त नहीं की गई है। पत्रावली संख्या 167/1991-92 श्रीमती कमला पत्नी श्री हरिराम जाट निवासी स्टाफ कॉलोनी नागौर द्वारा 1111.11 वर्गगज भूमि का नियमन करवाया गया, जिसमें नियमन राशि की गणना 265/- रूपये प्रति वर्गगज से की गई है। नजूल दर निर्धारण सूची नगर परिषद कार्यालय नागौर में नहीं मिली। इसलिए राजस्व हानि की सटीक गणना करना संभव नहीं है। पत्रावली संख्या 216/2012-13 श्री राजेन्द्र पुत्र श्री ज्वालाराम स्टाफ कॉलोनी नागौर के नाम नियमन की गई जिसमें नियमन राशि की गणना दिनांक 11.12.2012 को 750/- रूपये प्रति वर्गगज से की गई है जबकि नजूल कमेटी की बैठक दिनांक 12.06.2012 के द्वारा कमेटी द्वारा तय की गई आरक्षित दर क्र.सं. 22 कॉलेज रोड़ जिसकी मुख्य सड़क पर 700/- रूपये प्रति वर्गगज है इस प्रकार उक्त पत्रावली के नियमन राशि से नगर पालिका नागौर को कोई राजस्व हानि नहीं हुई है। इस प्रकार लाभार्थीगण श्रीमती कमला पत्नी श्री हरिराम व श्री राजेन्द्र पुत्र श्री ज्वालाराम ने नगर पालिका मण्डल नागौर के अधिकारी/कर्मचारीगणों से मिलीभगत कर कूटरचित दस्तावेजों का प्रयोग करते हुए उक्त दोनों पत्रावलियों का नियमन राज्य सरकार के नियमों के विरूद्ध व विधि विरुद्ध करवाया गया तथा नगर पालिका मण्डल नागौर के अधिकारी/कर्मचारीगणों द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर राज्य सरकार के नियमों की अवहेलना करते हुए नियम विरूद्ध नियमन किया गया है। पत्रावली संख्या 216/2012-13 में संलग्न दिनांक 14.12.2007 के इकरारनामा जो भू-माफिया हरिराम की पत्नी कमला ने राजेन्द्र पुत्र ज्वालाराम के हक में निष्पादित किया है में स्पष्ट रुप से स्वीकार किया है कि दिनांक 29.07.1991 को कार्यालय नगर पालिका मण्डल नागौर द्वारा पुराना कब्जा होने का सबूत पेश करने बाबत दिये गये नोटिस जो मेरे पास उपलब्ध है। उक्त नोटिस को ही स्वामित्व का आधार बनाते हुए राज्य सरकार की सम्पति का विक्रय करते हुए राजेन्द्र पुत्र ज्वालाराम को नोटिस सहित विक्रय कर दिया व इकरारनामा के अनुसार कब्जा भी मौके पर राजेन्द्र पुत्र ज्वालाराम को सुपुर्द कर दिया। तत्पश्चात् उसी दिनांक 29.07.1991 के नोटिस को आधार बनाते हुए तथा दिनांक 14.12.2007 के इकरारनामें के तथ्य को छुपाते हुए नगर पालिका मण्डल नागौर के कार्मिको से मिलीभगत कर कुटरचित दस्तावेंजो का सहारा लेते हुए दिनांक 09.04.2010 विधि विरुद्ध तरीके से दूसरी जमीन नियम विरुद्ध तरीके से नियमित करवा दिया। परिवाद में लगाये गये उपरोक्त आरोप परिवादी व गवाहान के कथनों, आरोपीगणों के स्पष्टीकरण कथनों व नगर परिषद नागौर से प्राप्त दस्तावेजात/रिकॉर्ड से बखूबी प्रमाणित है। इस प्रकार लाभार्थीगणों द्वारा नगरपालिका नागौर के लोकसेवकों के साथ आपराधिक षडयंत्र करके कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर विधि विरूद्ध भूखण्डों का नियमन करवाकर अनुचित लाभ प्राप्त किया है।

जिससे आरोपीगण 1. श्री पोकरराम चौहान पुत्र श्री पूनाराम जाति मेघवाल निवासी बीजापुर, तहसील बाली, जिला पाली तत्कालीन आयुक्त, नगर परिषद, नागौर, 2. श्री मामराज पुत्र श्री तुलसाराम जी, जाति जाट, उम्र 62 वर्ष, निवासी 111, संजय कॉलोनी नागौर तत्कालीन सर्वेयर, नगर परिषद, नागौर हाल सेवानिवृत, 3. श्री नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री बन्ने सिंह जाति जाट, उम्र 59 वर्ष, निवासी 4, शास्त्री नगर, आई.टी.आई. के सामने, नागौर तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता, नगर परिषद, नागौर हाल सहायक अभियन्ता, नगर पालिका मेड़ता सिटी, जिला नागौर, 4. श्री हरिकिशन पुत्र श्री हजारी राम जाति विश्नोई, उम्र 62 वर्ष, निवासी ग्राम रासीसर, तहसील व पुलिस थाना नोखा, जिला बीकानेर तत्कालीन कनिष्ठ सहायक, नगर परिषद, नागौर हाल सेवानिवृत, 5. श्री कुम्भाराम पुत्र श्री मगाराम जाति जाट, उम्र 67 वर्ष, निवासी धुंधवालो की ढाणी अलाय हाल निवासी अमरसिंह कॉलोनी नागौर तत्कालीन वरिष्ठ सहायक, कार्यालय नगर परिषद, नागौर हाल सेवानिवृत, 6. श्री बिरदीचन्द पुत्र श्री भंवरलाल जाति माली, उम्र 62 वर्ष, निवासी बाड़ी कुआ नागौर तत्कालीन सभापति, नगर परिषद, नागौर, 7. श्रीमती कमला देवी पत्नी स्व0 श्री हरिराम जाति जाट, उम्र 55 वर्ष, निवासी वीर तेजा कॉलोनी, संचार भवन के पिछे, मानासर, नागौर व 8. श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री ज्वालाराम जाति जाट उम्र 59 वर्ष निवासी स्टाफ कॉलोनी, मानासर, नागौर जिला नागौर का उक्त कृत्य अन्तर्गत धारा 13(1)सी,डी, 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 व धारा 420, 467, 468, 471 व 120बी भादसं का अपराध प्रथम दृष्टया घटित होना पाया जाता है। अतः उपरोक्त आरोपीगणों के विरूद्ध उपरोक्त वर्णित धाराओं में अभियोग पंजीबद्ध करने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान् महानिदेशक महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राज0 जयपुर की सेवामें सादर प्रेषित है। भवदीया एसडी/- (सुशीला विश्नोई) पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नागौर ......कार्यवाही पुलिस..... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप

शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमती सुशीला विश्नोई, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नागौर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 13(1)सी, डी, 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं 420, 467, 468, 471, 120बी भादसं.में आरोपीगण 1.श्री पोकरराम चौहान पुत्र श्री पूनाराम, निवासी बीजापुर, तहसील बाली, जिला पाली तत्कालीन आयुक्त, नगर परिषद, नागौर हाल सेवानिवृत, 2.श्री मामराज पुत्र श्री तुलसाराम जी, निवासी 111, संजय कॉलोनी नागौर तत्कालीन सर्वेयर, नगर परिषद, नागौर हाल सेवानिवृत, 3.श्री नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री बन्ने सिंह, निवासी 4 शास्त्री नगर, आई.टी.आई. के सामने, नागौर तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता, नगर परिषद, नागौर हाल सहायक अभियन्ता, नगर पालिका मेड़ता सिटी जिला नागौर, 4.श्री हरिकिशन पुत्र श्री हजारी राम जाति विश्नोई, निवासी ग्राम रासीसर, तहसील व पुलिस थाना नोखा, जिला बीकानेर तत्कालीन कनिष्ठ सहायक, नगर परिषद, नागौर हाल सेवानिवृत, 5.श्री कुम्भाराम पुत्र श्री मगाराम जाति जाट, निवासी धुंधवालो की ढाणी अलाय हाल निवासी अमरसिंह कॉलोनी नागौर तत्कालीन वरिष्ठ सहायक, कार्यालय नगर परिषद, नागौर हाल सेवानिवृत, 6.श्री बिरदीचन्द पुत्र श्री भंवरलाल जाति माली, निवासी बाड़ी कुआ नागौर तत्कालीन सभापति, नगर परिषद, नागौर, 7.श्रीमती कमला देवी पत्नी स्व0 श्री हरिराम जाति जाट, निवासी वीर तेजा कॉलोनी, संचार भवन के पिछे, मानासर, नागौर 8.श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री ज्वालाराम, निवासी स्टाफ कॉलोनी, मानासर, नागौर जिला नागौर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 19/2024 उपरोक्त धारा में दर्ज कर अनुसंधान अधिकारी श्री तेजाराम पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो नागौर को सुपुर्द की गई है उक्त के सम्बन्ध में रोजनामाचा आम रिपोर्ट 482 पर अंकित है।(विशनाराम)पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। क्रमांक 97-103 दिनांक 31.01.2024प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।1.विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, संख्या-1, जोधपुर।2.निदेशक, स्वायत शासन विभाग, जयपुर।3.निदेशक स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।4.आयुक्त, नगर परिषद् नागौर।5.उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर।6.अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नागौर।7.अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक-परि., भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर (परि 31/18)। पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** TEJA RAM **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Vishanaram
Location: Rajasthan,IN
Date: 31/01/2024 17:40:38

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Vishna Ram

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1956				
2	Male	1962				
3	Male	1965				
4	Male	1962				
5	Male	1957				
6	Male	1962				
7	Female	1969				
8	Male	1965				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)